न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 5/2023

दायर दिनांक: 18/01/2023

उनवान

1. जितेन्द्र नागर आयु 32 वर्ष पुत्र छोटूलाल जाति धाकड निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाक: 21/11/2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अन्ताना तहसील अटरू में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 131 की कुल किता 16 का रकबा 8.16 हे0 आराजी शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/40 दर्ज खाता चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों दवारा फौती नामान्तरण में वारिसान का नाम दर्ज करते समय सहवन से जितेन्द्र नागर पुत्र छोटूलाल के स्थान पर मनोज पुत्र छोटूलाल अंकित कर दिया है जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम जितेन्द्र नागर है जो कि उसके आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड व स्कूल मार्कशीट आदि दस्तावेजों में भी जितेन्द्र नागर नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर अपना नाम मनोज के स्थान पर जितेन्द्र नागर दर्ज करवाने का अधिकारी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। यह कि अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.12.04 10:22:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम मनोज कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब को अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल अन्ताना तह. अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है । अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एवं माल अन्ताना तहसील अटरू में खाता संख्या 131 की कुल किता 16 का रकबा 8.16 है. आराजी में प्रार्थी का नाम मनोज पुत्र छोटूलाल के स्थान पर जितेन्द्र नागर पुत्र छोटूलाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/3522 दिनांक 20.11.2024 को शामिल फाईल किया गया। अभिभाषक प्रार्थी ने साक्ष्यप्रार्थी के तहत pw 1 व pw 2 के शपथ पत्र पेश किये गये तथा रिकार्ड प्रदर्श किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अन्ताना सम्वत 2071–74 खाता संख्या 131, ग्राम पंचायत अन्ताना प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन–आधार कार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट एवं साक्ष्य गवाहों के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल अन्ताना तहसील अटरू में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 131 की कुल किता 16 का रकबा 8.16 हे0 में सहखातेदार मनोज पुत्र छोटूलाल के स्थान पर जितेन्द्र नागर पुत्र छोटूलाल दर्ज किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.12.04 10:22:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21-11-24
(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.12.04 10:22:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner